

कार्यालय

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून।

पत्रांक:- 658 / उ0व0बो / आर0टी0आई0 63 / 2018-19 दिनांक- 18 सितम्बर, 2018

पंजीकृत डाक

सेवा में,

श्री करीम अंसारी,
युगांतर (एन0के0ई0टो0क्यू0एन0वी0एच0),
3-4-142/6, बरकतपुरा,
हैदराबाद-500027।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में।
महोदय,

असिस्टेंट लॉ ऑफिसर/लोक सूचना अधिकारी, सैन्ट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा समस्त लोक सूचना अधिकारी/राज्य वक्फ बोर्डों को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित पत्रांक 51 (1) दिनांक 09.08.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त के माध्यम से उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की छायाप्रति प्रेषित करते हुए आपके द्वारा चाही गई 06 बिन्दुओं की सूचनायें उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है, उक्त के क्रम में इस कार्यालय से सम्बन्धित चाही गई दो बिन्दुओं की सूचना निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या 01:- उत्तराखण्ड राज्य में स्थित वक्फ सम्पत्तियों की सूची के रूप में दफा-37 रजिस्टर की प्रतियां आप उत्तराखण्ड सूचना आयोग की अपील संख्या 17305/2014 दिनांक 03.04.2015 के प्रस्तर 04, 4.1 में पारित आदेश के अनुसार ऐसी सूचना जिसके बारे में पहले से ही वैधानिक प्राविधान मौजूद है, वह सूचना उसी प्राविधान के अन्तर्गत प्राप्त की जाएं, सूचना के अधिकार के अन्तर्गत नहीं। उपरोक्त आदेश के क्रम में आप वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 30 के तहत बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके कार्यालय उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड से नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं।

बिन्दु संख्या 02:- वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ सम्पत्तियों पर अवैध कब्जों के विरुद्ध धारा-54 की कार्यवाही की गयी है उक्त वादों की सूची आप उत्तराखण्ड सूचना आयोग की अपील संख्या 17305/2014 दिनांक 03.04.2015 के प्रस्तर 04, 4.1 में पारित आदेश के अनुसार ऐसी सूचना जिसके बारे में पहले से ही वैधानिक प्राविधान मौजूद है, वह सूचना उसी प्राविधान के अन्तर्गत प्राप्त की जाएं, सूचना के अधिकार के अन्तर्गत नहीं। उपरोक्त आदेश के क्रम में आप वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 30 के तहत बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके कार्यालय उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड से नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं।

बिन्दु संख्या 03:- उत्तराखण्ड राज्य में स्थित विभिन्न वक्फ सम्पत्तियों से प्राप्त आय की सूची की प्रतियां आप उत्तराखण्ड सूचना आयोग की अपील संख्या 17305/2014 दिनांक 03.04.2015 के प्रस्तर 04, 4.1 में पारित आदेश के अनुसार ऐसी सूचना जिसके बारे में पहले से ही वैधानिक प्राविधान मौजूद है, वह सूचना उसी प्राविधान के अन्तर्गत प्राप्त की जाएं, सूचना के अधिकार के अन्तर्गत नहीं। उपरोक्त आदेश के क्रम में आप वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 30 के तहत बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके कार्यालय उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड से नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं।


बिन्दु संख्या 04:- उत्तराखण्ड राज्य में स्थित, वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्धित लम्बित वादों की संख्या लगभग 100 हैं जिसकी सूची की प्रतियां आप उत्तराखण्ड सूचना आयोग की अपील संख्या 17305/2014 दिनांक 03.04.2015 के प्रस्तर 04, 4.1 में पारित आदेश के अनुसार ऐसी सूचना जिसके बारे में पहले से ही वैधानिक प्राविधान मौजूद है, वह सूचना उसी प्राविधान के अन्तर्गत प्राप्त की जाएं, सूचना के अधिकार के अन्तर्गत नहीं। उपरोक्त आदेश के क्रम में आप वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 30 के तहत बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके कार्यालय उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड से नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं।

बिन्दु संख्या 05:- उत्तराखण्ड राज्य में स्थित वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्धित जो वाद उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड द्वारा जीते गये है, उनकी संख्या 40 हैं। जिसकी सूची की प्रतियां आप उत्तराखण्ड सूचना आयोग की अपील संख्या 17305/2014 दिनांक 03.04.2015 के प्रस्तर 04, 4.1 में पारित आदेश के अनुसार ऐसी सूचना जिसके बारे में पहले से ही वैधानिक प्राविधान मौजूद है, वह सूचना उसी प्राविधान के अर्न्तगत प्राप्त की जाएं, सूचना के अधिकार के अर्न्तगत नहीं। उपरोक्त आदेश के क्रम में आप वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 30 के तहत बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके कार्यालय उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड से नियमानुसार प्राप्त कर सकते है।

बिन्दु संख्या 06:- उक्त बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्धित शिकायत मुख्य कार्यपालक अधिकारी को कर सकते हैं, उनका दूरभाष नं 9411138185 और ई-मेल ceok@wakf.gov.in एवं पत्राचार का पता मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड अल्पसंख्यक कल्याण भवन, भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला देहरादून (उत्तराखण्ड)।


उपरोक्तानुसार उल्लिखित सूचनाओं से असहमति की दशा में एक माह के अन्दर उक्त की प्रथम अपील विभागीय अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है के समक्ष योजित की जा सकती है।

विभागीय अपीलीय अधिकारी- मुख्य कार्यपालक अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।


(मौहम्मद अली)
वक्फ निरीक्षक/
लोक सूचना अधिकारी

पृष्ठाकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि:- लोक सूचना अधिकारी/असिस्टेंट लॉ ऑफिसर सैन्ट्रल वक्फ काउंसिल नई दिल्ली को उनके पत्रांक 51 (1) दिनांक 09 अगस्त, 2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


(मौहम्मद अली)
वक्फ निरीक्षक/
लोक सूचना अधिकारी